राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना
वाद संख्या–75 / 2021
कुमारी प्रियंका बनाम् नवल किशोर झा।

यह वाद कुमारी प्रियंका पति–श्री हेमन्त कुमार, पता–वार्ड संख्या–05, पोस्ट–डामू, थाना–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी द्वारा श्री नवल किशोर झा, पिता–स्व0 महावीर झा, ग्राम–भगीरथ पट्टी, पोस्ट–डामू, थाना–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज डामू प्रखण्ड–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी के विरुद्व बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136 (2) के तहत ग्राम पंचायत राज डामू के मुखिया पद से हटाने एवं धारा–125 (A) के तहत कार्रवाई हेतु लाया गया है।

2. वाद की सुनवाई के क्रम में वादी कुमारी प्रियंका का पक्ष उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार चौबे द्वारा आयोग के समक्ष रखा गया, जबकि प्रतिवादी श्री नवल किशोर झा की ओर से उनका पक्ष विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नाकर झा द्वारा रखा गया। सुनवाई के क्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा अभिलेखों के सत्यापन को उपलब्ध कराने एवं जिला प्रशासन का पक्ष रखने हेतु श्री शैलेन्द्र कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को प्रतिनियुक्त किया गया।

3. वादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रंजीत कुमार चौबे ने वादी का पक्ष रखते हुए, वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आयोग को बताया गया कि प्रतिवादी द्वारा अपना गलत उम्र दर्ज कर एवं नामांकन में अपनी आय संबंधी गलत जानकारी को अंकित कर चुनाव में विजय प्राप्त की गई है, उन्होनें आयोग को बताया कि प्रतिवादी द्वारा नामांकन पत्र में अपनी जन्मतिथि 07.10.1981 अंकित की है, जबकि उनकी वास्तविक जन्मतिथि–15.08.1990 है। साक्ष्य स्वरूप उनके द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता, मधुबनी से प्राप्त अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें जन्मतिथि–15.08.1990 अंकित है। आगे उनके द्वारा श्री नवल किशोर झा के नामांकन पत्र में घोषित आय का अवलोकन आयोग को कराया गया, जिसमें उनकी वार्षिक आय रू0 85,000 / –(पचासी हजार) घोषित है, जबकि इसी आलोच्य वर्ष में Income Tax Return में इनके द्वारा अपनी वार्षिक आय रू0 3,45,420 / –(तीन लाख पैतालीस हजार चार सौ बीस) घोषित की गई है।

आयोग द्वारा पृच्छा की गई कि क्या प्रतिवादी की आयु Cut off Date संवीक्षा की प्रथम तिथि को मुखिया पद पर निर्वाचन हेतु निर्धारित न्यूनतम आयु से कम थी, तो वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि प्रतिवादी के वास्तविक जन्मतिथि 15.08.1990 है।

अतः Cut off Date संवीक्षा की प्रथम तिथि को 21 वर्ष की आयु तो पूरा करते है, परन्तु प्रतिवादी द्वारा गलत शपथ–पत्र दायर किया गया तथा मतदाताओं से तथ्यों से छुपाया गया है।

4. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री रत्नाकर झा द्वारा आयोग को बताया गया कि वादी द्वारा इसी मामलें पर चुनाव याचिका संख्या–18/2021, मधुबनी मुंसिफ न्यायालय में दायर की गई है। अतः यहाँ इस मामलें की सुनवाई नहीं की जा सकती। उन्होनें मधुबनी मुंसिफ न्यायालय में दायर याचिका संख्या–18/2021, की छायाप्रति का अवलोकन आयोग को कराया गया।

5. **जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा उपलब्ध कराये गये सत्यापन–सह–जॉच प्रतिवेदन (ज्ञापांक–206, दिनांक–18.06.2022) उपलब्ध कराया गया है। प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि श्री नवल किशोर झा द्वारा नामांकन पत्र में अपनी जन्मतिथि–07.10.1981 अंकित की गई है, जबकि बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड, पटना द्वारा आयोजित मध्यमा(मैट्रिक के समतुल्य) की परीक्षा में इनकी जन्मतिथि–15.08.1990 अंकित है। इसी प्रकार वार्षिक आय बायोडाटा में रू0 85,000/–(पचासी हजार) जबकि वित्तीय वर्ष–2020–21 में Income Tax Return में इनके द्वारा अपनी वार्षिक आय रू0 3,45,420/–(तीन लाख पैतालीस हजार चार सौ बीस) अंकित की गई है।**

6. **आयोग द्वारा विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों/तर्कों तथा जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी के द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेखों के सत्यापन एवं जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा विषय–वस्तु से संबंधित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों एवं विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों के आलोक में आयोग का इस वाद के संबंध में मत निम्नवत हैः–**

"आयोग द्वारा यह पाया गया कि इस वाद/विवाद का मूल कारण श्री नवल किशोर झा (वर्तमान मुखिया, डामू ग्राम पंचायत) द्वारा नामांकन–पत्र में आयु एवं वार्षिक आय से संबंधित गलत शपथ–पत्र दायर करना है।

आयोग प्रतिवादी के इस तर्क से सहमत है कि एक ही व्यक्ति पर एक दोष के लिए दो अलग–अलग न्यायिक मंचो पर दो अलग–अलग वाद संस्थित नहीं किए जा सकते, विचाराधीन मामले में पाया गया कि मुंसिफ न्यायालय, मधुबनी में चुनाव वाद संख्या–18/2021 पूर्व से ही दायर किया गया है, जो बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006

की धारा–137 के तहत दायर है, जबकि आयोग के समक्ष विचाराधीन वाद उक्त अधिनियम की धारा–136 एवं 125 के तहत दायर है।

बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–136(2) के Proviso में अंकित है कि "Provided that the State Election Commission shall not be entitled to entertain any complaint or petition subject matter of which is purely an election dispute such as corrupt practice, wrongful rejection of nomination etc. In accordance with Article 243-O of the Constitution of India read with Section-137 of the Act"

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पूर्ण पीठ द्वारा रजनी कुमारी बनाम् राज्य निर्वाचन आयोग एवं अन्य मामले (LPA No. 566 of 2017) में दिनांक–17.09.2019 को भी यह आदेश पारित किया है कि राज्य निर्वाचन आयोग ऐसे मामलो की सुनवाई नहीं कर सकेगा, जो विशुद्ध रूप से Election Dispute हो तथा जिसकी सुनवाई चुनाव याचिका के बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–137 के तहत की जानी हो।

उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट है कि वादी कुमारी प्रियंका द्वारा पूर्व में ही प्रतिवादी श्री नवल किशोर झा के विरूद्ध चुनाव याचिका संख्या–18/2021 दायर किया हुआ है और श्री नवल किशोर झा के विरूद्ध बिहार पंचायत राज अधिनियम–2006 की धारा–135 एवं 136 के तहत अयोग्यता से संबंधित कोई मामला नहीं बनता है। अतएव वादी के सभी माँगों को अस्वीकृत किया जाता है।

इस आदेश के साथ इस वाद को निष्पादित किया जाता है।

सभी संबंधित को सूचित कर दिया जाये।

अद्योहस्ताक्षरी द्वारा लेखापित एवं संशोधित।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.04.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ह0/–
(डॉ० दीपक प्रसाद)
05.04.2023
राज्य निर्वाचन आयुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–75/2021 1074

पटना, दिनांक–6 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि–प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

06/04/2023
उप सचिव

ज्ञापांक–75/2021 1074 पटना, दिनांक–6 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि–जिला निर्वाचन पदाधिकारी(पंचायत)–सह–जिला पदाधिकारी, मधुबनी/जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधुबनी को आदेश दिया जाता है कि आदेश की प्रति का तामिला वादी एवं प्रतिवादी को 24 घंटे के अन्दर कराते हुए तामिला प्रतिवेदन लौटती डाक/ई–मेल से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

06/04/2023
उप सचिव

ज्ञापांक–75/2021 1074 पटना, दिनांक–6 अप्रैल, 2023

प्रतिलिपि– श्रीमती कुमारी प्रियंका पति–श्री हेमन्त कुमार, पता–वार्ड संख्या–05, पोस्ट–डामू, थाना–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी एवं श्री नवल किशोर झा, पिता–स्व0 महावीर झा, ग्राम–भगीरथ पट्टी, पोस्ट–डामू, थाना–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज डामू प्रखण्ड–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी वर्तमान मुखिया ग्राम पंचायत राज डामू प्रखण्ड–बासोपट्टी, जिला–मधुबनी को सूचनार्थ प्रेषित।

06/04/2023
उप सचिव